जय प्रकाश विश्वविद्यालय

राहुल सांकृत्यायन नगर, छपरा– 841301, बिहार (भारत)

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA-841301, BIHAR (INDIA)

Tel. No. 06152-233121(O) 233509 (R) FAX-06152-233507 (O)

Letter No.- 1043-D.S.W. Dated:- 22.07.2017

सेवा में,

सभी प्रधानाचार्य / विभागध्यक्ष
सभी अंगीभूत एवं संबध महाविद्यालय
जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा

विषयः– स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में नामांकन नियमावली एवं आरक्षण नीति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में निदेशानुसार सूचित करना है कि नामांकन समिति की बैठक दिनांक 14 जुलाई 2017 में लिये गये निर्णयानुसार स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में नामांकन अब राज्य सरकार के नियमानुसार निम्नलिखित आधार पर किया जायेगा:–

1. (i) अनुसूचित जातियाँ – 16 प्रतिशत
(ii) अनुसूचित जन जातियाँ – 01 प्रतिशत
(iii) अत्यंत पिछड़ी जातियाँ – 18 प्रतिशत
(iv) पिछड़ा वर्ग – 12 प्रतिशत
(v) पिछडे वर्ग की महिलाएँ – 03 प्रतिशत

अगर अनुसूचित जनजाति का आरक्षित स्थान बचता है, तो उसे अनुसूचित जाति की विद्यार्थी से भरा जायेगा। अगर अनुसूचित जाति (अनुसूचित जनजाति के बचे हये स्थान सहित) का आरक्षण स्थान रिक्त रह जाता है तो उसे अत्यंत पिंछड़ी जाति (Annex-I) के विद्यार्थियों से भरा जाय। इसी प्रकार अत्यंत पिछड़ी जाति (Annex-I) का आरक्षित स्थान रिक्त रह जाता है तो उसे अन्य पिछडी जाति के विद्यार्थियों से भरा जायेगा और उसके बाद भी आरक्षित कोटि का स्थान रिक्त रह जाता है तो उसे सामान्य कोटि के विद्यार्थियों से भरा जायेगा। यदि कोई आरक्षित कोटि का विद्यार्थी अपने मेधा से सामान्य कोटि में आता है तो उसकी गणना आरक्षित कोटि में नहीं होगी।

"There of 3% seats will be reserved for Person With Disability (PWD) candidate i.e. Visually Impaired (1%), Hearing Impaired (1%) & Orthopedically Handicapped (1%). These 3% seats are within the intake limit. Percentage of disability will be taken into consideration at the time of selection. The 3% seats of PWD candidates shall be filled up within the seat limit fixed for that particular category to which the PWD candidates belong to."

50 प्रतिशत तक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग / पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है उससे विकलांग के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है। चयनित विकलांग उम्मीदवार आरक्षित वर्ग के लिए जिस वर्ग से आते हों उसी वर्ग में उनकी गिनती होगी। किसी नामांकन विशेष के लिए चयनित विकलांग उम्मीदवार अनुसूचित जाति का है तो उनकी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद के विरूद्ध की जायेगी। यदि वे अनुसूचित जन जाति / अत्यन्त पिछडा वर्ग / पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग की महिलाओं से संबन्ध रखते हो तो उनकी गिनती क्रमशः अनुसूचित जनजाति / अत्यन्त पिछडा वर्ग / पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए आरक्षित पद के विरूद्ध की जायेगी। इसी प्रकार यदि वे सामान्य वर्ग के है तो उनकी गिनती सामान्य वर्ग के विरूद्ध की जायेगी। परन्तु सभी आरक्षण पूर्ण स्वीकृत संख्या के अन्दर ही होंगे।

अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेश का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक सुनिश्चित किया जाय।

21/7/17

(अध्यक्ष, छात्र–कल्याण)